संख्या-7/2022/088/18-2-2022

प्रेषक,

पन्ना लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमअनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 31 मार्च 2022

विषय: क्लस्टर विकास योजनान्तर्गत औद्योगिक आस्थान, ठण्डी सड़क, फर्रूखाबाद की उच्चीकरण परियोजना हेतु राज्यांश की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-560-62/12-क्लस्टर/आईडी फर्रूखाबाद/ 2021-22 दिनांक 21.01.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एम0 एस0 ई0-सी0 डी0 पी0 क्लस्टर विकास योजनान्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या-1(1274) /सीडीडी/आईडी/फर्रूखाबाद/2021, दिनांक 03.01.2022 में प्राप्त स्वीकृति एवं दिशा-निर्देशानुसार औद्योगिक आस्थान, ठण्डी सड़क, फर्रूखाबाद की उच्चीकरण परियोजना हेतु जिसकी कुल लागत रू0 609.04 लाख (केन्द्रांश रू0 393.08 लाख व राज्यांश रू0 215.96 लाख) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश के रूप में निर्धारित परियोजना लागत धनराशि रू0 215.96 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन एवं रखने की मा0 राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग एवं निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा उक्त योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत एमएसई-सीडीपी गाइडलाइन 1(834)/सीडीडी/गाइडलाइन/2018, दिनांक 11.10.2019 तथा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश तथा शासन द्वारा निर्गत मार्ग-दर्शक सिद्धांतों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) परियोजना को अंतिम स्वीकृति पत्र के दिनांक से 24 माह में पूरा कराया जायेगा यदि परियोजना लागत में किसी प्रकार की वृद्धि होती है तो उसका वहन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जायेगा।

(3) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण सक्षम अधिकारी की वास्तविक मांग तथा तुरन्त व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा एवं उक्त धनराशि केवल उपर्युक्त स्वीकृत योजना पर ही व्यय की जायेगी। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि अथवा उसके किसी अंश का उपयोग अन्य किसी मदों/अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नहीं किया जायेगा।

(4) योजना का कार्यान्वयन एवं व्यय के संबंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता संबंधी वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(5) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण शासन के वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं शासन को प्रपत्र बी-एम-13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1 एवं 2 उ0 प्र0 प्रयागराज तथा शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-3 के अधीन लेखा शीर्षक -''2851-ग्राम तथा लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना-27-सब्सिडी'' के नामें डाला जायेगा।

(9) यह आदेश वित्त विभाग के अ0 शा0 सं0-ई-6-3505-एक्स-2021-22, दिनांक- 31.03.2022 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

पन्ना लाल
संयुक्त सचिव

संख्या-7/2022/088(1)/18-2-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखकार (लेखा परिक्षा-1) सी0ए0एस0एस0-3/टी0डी0ए0 कोआर्डिनेशन, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
4- विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय निर्माण भवन, 7वा फ्लोर मौलाना आज़ाद रोड, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0, कानपुर।
6- जिलाधिकारी फर्रूखाबाद।
7- कोषाधिकारी कानपुर नगर।
8- वित्त नियंत्रक, उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
9- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग - 6/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ लघु उद्योग अनुभाग-3/ नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

पन्ना लाल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।